रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247346
CG-DL-E-14072023-247346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3013] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
No. 3013] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

का.आ. 3142(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 938 (अ), तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना जनहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा दे सकती है;

और केन्द्रीय सरकार के मत से यह अधिसूचना संख्या का.आ. 938 (अ), तारीख 23 मार्च, 2017 को संशोधित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा अभिमुक्ति देना जनहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा

(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 938(अ), तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैराग्राफ 2 में, उप-पैरा (2) को निम्नानुसार रखा जाएगा:

"(2) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.

(ii) पैरा 5 में, उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- "(ii) प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ";

(iii) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**6. निगरानी समिति के कार्य.**–(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा.सं. 25/22/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 938(अ), तारीख 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

S.O. 3142(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 938(E), dated the 23rd March, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 938(E), dated the 23rd March, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 938(E), dated the 23rd March, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 2, sub-paragraph (2), shall be substituted as follows:

"(2) The State Government shall, prepare a Zonal Master Plan, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the date of publication of this amendment notification".

(ii) in paragraph 5, for sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- "(ii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the State Government for a term of three years in each case";

(iii) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"**6. Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for consideration of grant of prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the appropriate authority.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector concerned or the Deputy Conservator concerned of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report giving full account of its activities during the previous financial year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions under this notification.".

[F. No. 25/22/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 938(E), dated the 23rd March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.14 21:37:08 +05'30'